



भारत-नेपाल के आपसी संबंध : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

डॉ. निखिल कुमार

शोधार्थी

राजनीति विज्ञान विभाग

पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ

(बिहार) भारत

पिन कोड -854301

मेल- nk0755629@gmail.com

सारांश: भारत और नेपाल विश्व के प्राचीनतम देश में से एक है जो एशिया महाद्वीप में स्थित दो पड़ोसी राष्ट्र हैं। जिनका आपसी संबंध अनादिकाल से एक दूसरे के बीच आपसी भाईचारा व संबंधों के साथ वर्तमान समय तक भी जुड़ा हुआ है। नेपाल के अधिकांश भाग मूलतः मध्य हिमालय के पर्वतमालाओं से गिरा हुआ है, तथा मध्य दक्षिण भाग भारत के तराई प्रदेशों के सीमाओं से जुड़ा हुआ है। दोनों देश अनादि काल से दक्षिण एशिया के हिंद बहल राष्ट्र के रूप में विश्व के पटल पर जाना जाता था। यद्यपि वर्तमान काल में भारत एक सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता है जिनके आधार हमें भारतीय संविधान के मूल स्वरूप में ही देखने को मिलता है। जबकि आज भी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। दोनों देशों के बीच प्राचीनतम सभ्यताएं एवं धार्मिक आस्थाएं समान रूप से इतिहास के माध्यम से देखने को मिलता है। जिनका उदाहरण हमें दोनों देश के नागरिकों के ईस्ट देव एक होने के प्राणों से मिलता है, क्योंकि नेपाल के लोग भी अपना आराध्य महादेव को मानते हैं तथा भारत के भी अधिकांश नागरिक भी महादेव को ही अपना आराध्य व भगवान मानते हैं।

परिचय: प्राचीन काल से ही नेपाल व भारत के संबंधों का ऐतिहासिक इतना अधिक क्रमबद्ध, सुनिश्चित व घनिष्ठ मित्रवत रहा है कि इनके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, समरूपता दृष्टिगोचर देखने को मिलता है। पूर्व में नेपाल भारत का एक अभिन्न अंग था। क्योंकि यह हमें रामायण काल के राजा दशरथ की रानी केकई जो मूलतः केकई राज्य के राजा की सुपुत्री थी जो के राज्य वर्तमान समय में नेपाल राष्ट्र का एक भाग के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं रामायण काल के ही समय भगवान राम की धर्मपत्नी माता सीता का भी जन्मस्थली नेपाल के जनकपुरी राज्य में राजा जनक के यहां हमें धर्म ग्रंथों से प्राप्त होता है। जो मूल रूप से वर्तमान समय में नेपाल का ही एक भाग के रूप में जाना जाता है।

भारत व नेपाल के संबंधों के बारे में विद्वानों के विचार:

प्रो० परमानंद जी का मत है कि नेपाल के जनता की उत्पत्ति भारत से ही है, उन्होंने अपने लेख शब्दकपंद व्वउउनदपजल पद छमचंसश् में किया है¹। **श्री वी.पी. दत्त** ने भारत नेपाल के परम्परागत ऐतिहासिक रिश्ते के व्यापकता पर प्रकाश डालते हुये लिखा है कि दुनियां में दो देशों के बीच इतने घनिष्ठ सम्बन्धों के उदाहरण कम ही मिलते हैं।

नेपाल का ऐतिहासिक स्वरूप: नेपाल-भारत का संबंध अनादि काल से है। आधुनिक नेपाली साम्राज्य के निर्माता **पृथ्वी नारायण शाह** ने सन 1769 ई० में नेपाली धार, काठमांडू, पाटन और मडगांव नामक समस्त राज्यों को पराजित कर सुदृढ़ित एवं एकीकृत राज्य की स्थापना की (पृथ्वी नारायण शाह मूलतः चित्तौड़गढ़ राजस्थान के सिसोदिया वंश से संबंधित थे) वस्तुतः महाराज पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनके ही वंशजों ने नेपाली साम्राज्य को विस्तार के क्रम में जारी रखा, इन्होंने मूलतः 1863 ई० में नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून, गढ़, शिमला, सिक्किम क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। ब्रिटिश और नेपाली के युद्ध में नेपालियों की हार हुई और 4 मार्च 1816 ई० को यह राज्य ब्रिटिश भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया।² भारत में सन 1857 ई० में पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में नेपाल ने अंग्रेजों का साथ दिया था। नेपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध और विविधता पूर्ण से भरा रहा है। यह देश प्राचीन काल से ही धार्मिक, संस्कृतजिन, मध्यकालीन बाहर व आदि के रूप में किया जाता है।

प्राचीन काल : नेपाल राष्ट्र का इतिहास मूल रूप से वैदिक रूप से प्रारंभ होता है जहां पर लिच्छवी, मल्ल और किरात जैसे महत्वपूर्ण प्राचीन राजवंशों का शासन रहा है। जिनमे किरात वंश 800 ई० पूर्व में नेपाल के पूर्वी भाग से अपना शासन का संचालन करता था। जो मूलरूप से नेपाल की संस्कृति और भाषा में अपनी महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। इस राजवंश का शासन काल नेपाल में 400 ई० से 700ई० के लगभग रहा था। इस वंश के राजा के रूप में मानदेव प्रथम, आमशु वर्मा, नरेंद्र देव, शिवदेव द्वितीय जैसे राजा का शासन नेपाल पर रहा है, इनके शासन काल को नेपाल में

शांति और समृद्धि का युग माना जाता है। इस राजवंश की मुख्य विशेषता यह रही है कि इसके शासनकाल के समय हिंदू या बौद्ध धर्म का काफी विकास हुआ तथा उनकी प्रशासनिक व सामाजिक संरचना काफी मजबूत देखने को मिलता है।

मध्यकालीन युग : नेपाल में मध्यकालीन युग स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसी काल के समय में प्रमुख नगर काठमांडू का स्थापना हुआ था। इस काल में नेपाल में मल्ल वंश का शासन बाइमेर मे 12वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य रहा है, जिनमें कला व संस्कृति का विकास एक नई ऊंचाइयों को चूम रहा था।

एकीकरण का युग: पृथ्वी नारायण शाह गोरखा राज्य के राजा ने नेपाल के छोटे-छोटे विभिन्न राज्यों को एकीकृत कर एक सशक्त व समृद्ध आधुनिक नेपाल की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इन्होंने ही सन 1768 ई० में काठमांडू को विकसित कर अपना राजधानी बनाया जो वर्तमान समय में भी नेपाल के राजधानी के रूप में देखा जाता है। वैसे देखा जाए तो नेपाल का भी शासन काल काफी रोचक पूर्ण रहा है। सन 1846 ई० में जंग बहादुर राणा ने नेपाल की सत्ता को हथिया कर प्रधानमंत्री पद को वंशानुगत कर दिया था। नेपाल की बाहरी दुनिया से कोई खास संबंध नहीं रहा था। साथ ही वर्तमान समय में नेपाल के शासन प्रणाली की बात की जाए तो वर्तमान समय नेपाल एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। नेपाल में मूल रूप से राणा शासन काल के समाप्त के पश्चात नेपाल में लोकतांत्रिक सुधार का बीजारोपण हुआ था। सन 1990ई० में एक जन आंदोलन के पश्चात नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। पुनः सन 2006ई० में एक जन आंदोलन के पश्चात नेपाल के राजा के सभी राजनीतिक अधिकारों व शक्तियों से वंचित कर दिया गया। सन 2008 ई० में नेपाल में आधिकारिक रूप से राजतंत्र का समाप्त कर एक गणतंत्र राज्य के रूप में विश्व के पटल पर सामने आया, जिनके प्रथम लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बने। जो नेपाल के पहले जन-निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। वहीं वर्तमान समय की बात की जाए तो आए दिन नेपाल में एक जन-आंदोलन काफी व्यापक रूप से चल रहा है, जो नेपाल में पुनः राजा के जैसे शासन प्रणाली को संस्थापित करने को लेकर मुखर है। इनका मुख्य कारण यह है कि 2008 ई० में नेपाल में संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के बाद से अब तक (अप्रैल 2025 तक) देश में कुल 14 प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला है। यह संख्या ही मूल रूप से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का एक मुख्य कारण नेपाल के आंदोलन का मुख्य आधार बना है।

भारत का भौगोलिक स्वरूप: भारत का अपना भौगोलिक स्वरूप एक विविधतापूर्ण और विशिष्ट भौगोलिक रचना है, जो इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाता है। इसका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और पश्चिम में थार मरुस्थल से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटियों तक फैला हुआ है। भारत का भौगोलिक स्वरूप मुख्यतः छह प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है: उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र (हिमालय क्षेत्र) यह क्षेत्र भारत के उत्तर में स्थित है और इसमें तीन समानांतर पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं हिमाद्रि, हिमाचल, शिवालिक ये पर्वत भारत को उत्तर से ठंडी हवाओं से बचाते हैं और कई नदियों का स्रोत हैं।

भारत का राजनीतिक स्वरूप: भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका ढाँचा संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ जनता को शासन चुनने का अधिकार प्राप्त है। भारत का राजनीतिक स्वरूप निम्नलिखित मुख्य तत्वों से मिलकर बना है। रत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संविधान भारत के राजनीतिक ढाँचे की आधारशिला है। भारत एक संघीय राष्ट्र है, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। जिनमें तीन स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्थानीय सरकारें (नगरपालिका, पंचायतें)।

भारत की विदेश नीति का उदगम और सैद्धांतिक अध्ययन

वर्तमान समय अन्तर्राष्ट्रवाद के युग का है। विदेशनीति राष्ट्रीय हित के सन्दर्भ में सोची समझी जा रही है। आज का युग वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे के पूरक होता जा रहा है। प्राचीन भारतीय राजदर्शन में विजिगीषु राजा की परिकल्पना फिर उसके आधार पर विशाल साम्राज्य की स्थापना एक कल्पना मात्र रह गयी है। आज का युग प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग का है। इसी सन्दर्भ में विदेश नीति का अध्ययन किया जा रहा है।

विश्व राजनीति में भारत की भूमिका प्राचीनकाल से देखी जा सकती है जिसके लिखित प्रमाण कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक 'अर्थशास्त्र' के मण्डल सिद्धान्त में दिखाई पड़ता है। उसने न केवल राज्य के आन्तरिक प्रशासन के सिद्धान्तों का वर्णन किया है, वरन् उसने उन सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया है।⁵ जिनके आधार पर एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध निर्धारित किए जाने चाहिए पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित को मण्डल सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

विदेश नीति और राजनय को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संचालन की प्रक्रिया के यान के दो पहिये कहा जा सकता है। आज कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है। राज्यों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। एक राज्य पर यह निर्भरता जिस सीमा तक पहुंच गयी हैं उससे पहले भी राज्यों में कई प्रकार के आपसी सम्बन्ध हुआ करते थे। इनमें व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा राजनीतिक सम्बन्ध निम्नान्त रूप से सम्मिलित थे। व्यक्तियों के भांति, राज्य भी अपने हितों की अभिवृद्धि का प्रयास करते रहे, राज्यों के इन हितों को राष्ट्रीय हित कहते हैं। प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए विदेशनीति का निर्धारण करता है राज्यों की सरकार यह निश्चित करती हैं कि विदेशनीति के साथ किस प्रकार के सम्बन्ध रखे जाये उसके लिए कुछ कार्य करने होते हैं। और कुछ अन्य कार्यों से दूर भी रहना पड़ता है। इस प्रकार सरकारें दूसरी सरकारों के प्रति अपना आचरण तय करती है।

प्रो० महेन्द्र कुमार ने लिखा है- इस आचरण के माध्यम को मौटे तौर पर, विदेश नीति की विषय वस्तु कहा जा सकता है प्रत्येक राज्य का व्यवहार अन्य देशों के राज्य को प्रभावित करता है। अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक देश अन्य देशों की गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है। इस प्रकार विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि नीति निर्धारण करने वाला देश अन्य देशों के व्यवहार में अपने हित के अनुसार परिवर्तन करवाने का प्रयास करे।⁷ विदेश नीति के सन्दर्भ में **पं० जवाहर लाल नेहरू** ने लिखा है कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का भी ध्येय यही है।

भारत विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा देश है इसका उपमहाद्वीप-नुमा आकार विश्व परिदृश्य में इसे अपने आप में महत्वपूर्ण पूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बना देता है यह इतना बड़ा देश है कि अन्य देश के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। हालांकि बड़ा होने के साथ-साथ यह सामरिक भौगोलिक स्थित में भी है। कुछ मामलों में यह पूर्व व पश्चिम के बीच सेतु का काम करता है। यद्यपि भारत विश्व के दस भौगोलिक देशों में से एक है। कुशल श्रमशक्ति के मामले में तीसरे नम्बर का देश है। भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में राजनैतिक परम्पराओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता संग्राम का इनके निर्धारण में सीधा प्रभाव रहा है। भारत को अपने राष्ट्रीय आन्दोलन से विश्व के मामलों में एक स्वतंत्र एवं प्रमुख भूमिका निभाने की प्रबल इच्छा विरासत में मिली है।

भारतीय विदेश नीति का उद्गम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से भारत के लोगों का राजनीतिकरण तथा नीतियों के निर्माण के प्रति झुकाव आरम्भ हुआ। राष्ट्रीय भारतीय स्तर के नेताओं ने विश्व विषयों में काफी दिलचस्पी ली। कांग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन (1985 ई०) में अपर वर्मा पर ब्रिटिश शासन की निन्दा की। 1892 ई० में कांग्रेस ने भारत की प्राकृतिक सीमा के इर्द-गिर्द सैनिक गतिविधियों का तीव्र विरोध किया। भारत के पड़ोसी देशों तिब्बत, बर्मा, अफगानिस्तान तथा ईरान में सैनिक कार्यवाही के लिए ब्रिटेन द्वारा भारतीय क्षेत्र का प्रयोग करने का तीव्र विरोध भी कांग्रेस ने किया था।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस या भारतीय नेताओं ने विदेशी सम्बन्धों के प्रति अधिक सक्रियता दिखाई। 1920 ई० में जब आयरलैण्डवासी अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कांग्रेस ने उन्हें एक सद्भावना सन्देश भेजा। 1921 ई० में कांग्रेस ने पहली बार विदेश नीति के सम्बन्ध में एक पूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया था कि भारत अपने पड़ोसियों तथा अन्य राज्यों से अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का इच्छुक है। पड़ोसी राष्ट्रों से मधुर सम्बन्ध और सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने का यह प्रस्ताव आज भी भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धान्त है।

1930 ई० में कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से दृढ़ शब्दों में फासीवाद व नाजीवाद की आलोचना की। 1939 ई० में कांग्रेस ने त्रिपुरा अधिवेशन में भारत द्वारा अपनी विदेश नीति स्वयं बनाने तथा संचालन करने के अधिकार की मांग की। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पनप रही साम्राज्यवादी तथा फासीवादी शक्तियों की आलोचना भी की। 1945 ई० से 1947 ई० तक कांग्रेस ने कई प्रस्तावों तथा घोषणाओं द्वारा यह कहा कि सभी देशों को स्वतन्त्र होने का अधिकार है अर्थात् आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की स्थापना का भारत ने स्वागत किया परन्तु इस संगठन पर महाशक्तियों के अनावश्यक नियन्त्रण के प्रति असन्तोष भी व्यक्त किया।

कांग्रेस द्वारा पारित इन ऐतिहासिक घोषणाओं तथा प्रस्तावों ने भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तों-शीत युद्ध, साम्राज्यवाद, नस्लवाद तथा शक्ति आधारित राजनीति का विरोध और गुटनिरपेक्षता, पड़ोसी राष्ट्रों से मधुर सम्बन्ध, सभी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध तथा एशिया-अफ्रीका एकता का समर्थन आदि को आधारभूत जड़ें प्रदान की है। वर्तमान समय में मोदी सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने हेतु **पड़ोसी पहले** जैसे विदेश नीतियों को अपना कर आपसी संबंध को मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रहा है साथ इन्होंने एट ईस्ट पॉलिसी विदेश नीतियों के माध्यम से अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है।

भारत की विदेश नीति के सैद्धान्तिक आधार एवं निर्धारक तत्व

वर्तमान समय का युग अन्तर्राष्ट्रीयता का युग है। कोई भी देश चाहे कितना ही शक्तिशाली अथवा कमजोर हो या फिर कितना ही छोटा या बड़ा हो, एकांकी जीवनयापन नहीं कर सकता है प्रत्येक देश को दूसरे देशों के साथ सम्यक सम्बन्ध स्थापित करने पड़ते हैं तभी वह अपने अस्तित्व की रक्षा भी कर सकता है और विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न देश परस्पर सम्बन्धों के लिए कुछ सिद्धान्तों पर चलते हैं और इसके निर्धारण के लिए कुछ स्थायी तत्वों को अपनाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो नीति राष्ट्र के विदेशी मामलों के सम्बन्ध में अपनाई जाती है, उसे विदेश नीति की संज्ञा दी जाती है।⁸ विदेश नीति के अन्तर्गत वे सभी दृष्टिकोण और कार्य सम्मिलित हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या

राष्ट्रों के प्रति करता है आधुनिक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करते हैं, जो औपचारिक या अनौपचारिक, सरकारी या गैर सरकारी, नियोजित या अनियोजित हो सकते हैं। विदेश नीति से इन सभी सम्बन्धों या उनसे प्रेरित व्यवहारों का कोई भी अनिवार्य सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि विदेश नीति के अन्तर्गत केवल उन्हीं सम्बन्धों की गणना की जाती है जो एक राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार के साथ सरकारी स्तर पर परस्परिक सम्बन्ध स्थापित करती है।

भारत व नेपाल के बीच आपसी संबंध:

भौगोलिक संबंध: भारत और नेपाल के बीच भौगोलिक, राजनीतिक और व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों देशों के बीच सदियों पुराने संबंध हैं जो धर्म, भाषा, संस्कृति, और आर्थिक आदान-प्रदान पर आधारित हैं। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,770 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों से लगी हुई है। जिनमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच आपसी भाईचारा जैसे भावनाओं को साझा करने में बिहार राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी व्यापकता के साथ मिला-जुला हुआ है। क्योंकि बिहार राज्य की उत्तरी भाग के सीमावर्ती जिलों में मुख्य रूप से अररिया, सुपौल, मधुबनी, पश्चिम-चंपारण, तथा पूर्वी-चंपारण जिले के अधिकांश सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के तहत नेपाल देश से लगता है। जो व्यापारिक व अन्य संबंधों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

भू-स्थिति: नेपाल एक भूमि-locked (landlocked) देश है और इसका दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भाग भारत से घिरा हुआ है। इन दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा के एक-दूसरे के देश में आवाजाही सकते हैं और काम भी कर सकते हैं।

राजनीतिक संबंध: 1950 की भारत-नेपाल मैत्री संधि इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिकों को एक-दूसरे के देश में आवास, कार्य और संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है।

रणनीतिक सहयोग: भारत नेपाल की सेना को प्रशिक्षण, हथियार, और अन्य सहायता प्रदान करता है। दोनों देशों के सैनिक एक-दूसरे की सेना में सेवा दे सकते हैं। साथ ही भारत और नेपाल के बीच समय समय पर सैनिक अभ्यास किया जाता है जिनमें मुख्य रूप से **सूर्य किरण** युद्ध अभ्यास है। जो दोनों देशों के बीच सहयोग और रणनीतिक संबंध में को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का प्रारंभ वर्ष 2011 ई० में किया गया था। जिनका मुख्य उद्देश्य जंगल युद्ध, पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन में दोनों देशों के संयुक्त साझेदारी और अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है।

राजनीतिक चुनौतियाँ:

सीमा विवाद: खासकर कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर हाल के वर्षों में विवाद बढ़ा है। वर्तमान समय में भारत और नेपाल के बीच आपसी विवादों का मुख्य कारण नेपाल का चीनी प्रभाव में आकर भारत के सीमाओं तथा व्यापारिक गतिविधियों का विवादित बयान नेपाल व भारत के आपसी संबंधों में कटुता आना एक मुख्य कारण बना हुआ है।

व्यापारिक संबंध

भारत व नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जिनके तहत दोनों देशों के बीच आयात व निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है दिन में मुक्त रूप से भारत नेपाल को तेल, दवाइयाँ, कृषि उत्पाद, बिजली, निर्माण सामग्री आदि निर्यात करता है। वहीं नेपाल भारत को घी, जड़ी-बूटियाँ, तैयार कपड़े, हस्तशिल्प आदि आयात होते हैं। नेपाल का लगभग 60% विदेशी व्यापार भारत के साथ होता है।

भारत-नेपाल के बीच सम्बन्ध उतार-चढ़ाव के रहे प्रधानमंत्री और विदेशमंत्री समय-समय पर यह स्पष्ट करते रहे कि भारत-नेपाल के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता एवं एक स्थाई शान्ति का इच्छुक है। उन्होंने दोनों राष्ट्रों के सम्बन्धों में गुणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करते हुये यह भी कहा कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ नेपाल भारत सुरक्षा के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है उतना ही शक्तिशाली भारत-नेपाल के लिये आवश्यक है। परम्पराओं तथा भौगोलिक तथा राजनीतिक कारणों से चीन की अपेक्षा नेपाल भारत के साथ अधिक जुड़ा हुआ है। नेपाल में तानाशाही अधिक रही वहां नेपाली नरेश वीरेन्द्र महारानी ऐश्वर्या राज लक्ष्मी और शाही परिवार के अन्य छः सदस्यों की हत्या नेपाल नरेश के बड़े पुत्र राजकुमार दीपेन्द्र विक्रम शाह देव की (2 जून 2001 और बाद में स्वयं भी आत्म हत्या कर ली।) बाद में ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह को नेपाल का शासक घोषित किया गया। भारत नेपाल के सम्बन्धों में इस हत्याकांड के बाद कूटनीतिक ठहराव भी आ गया।

भारत-नेपाल सम्बन्धों में मतभेद के कारण:

स्वतंत्रता के प्रारम्भिक 10-12 वर्षों तक भारत के साथ नेपाल के सम्बन्धों की स्थिति कुछ छोटी-मोटी बातों को छोड़कर घनिष्ट निकटता की बनी रही, लेकिन 1960 में नेपाल के प्रथम लोकतान्त्रिक प्रधानमंत्री श्री जी०पी० कोईराला की बर्खास्तगी के बाद नेपाल का रुख भारत विरोधी दिखने लगा। अब उभय देशों के मध्य 1950 की मैत्री सन्धि, पारगमन, तस्करी, व्यापार, नदियों के जल आदि विवादों के कारण अन्य पड़ोसी देशों जैसे ही सामान्य

सम्बन्ध दिख रहे हैं। यद्यपि दोनों देशों के मध्य मतभेद के वैसे तो अनेक कारण हैं लेकिन यहाँ हम उनमें से कुछ विशिष्ट कारणों का ही विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

भारत-नेपाल सन्धि 1950:

भारत-नेपाल सम्बन्धों की शुरुआत 31 जुलाई 1950 में सम्पन्न वाणिज्य, व्यापार और मैत्री सन्धि के द्वारा सम्पन्न हुई। इसके अनुसार दोनों देशों के नागरिकों को निवास, सम्पत्ति, ग्रहण, व्यापार, वाणिज्य तथा नौकरियों के मामले में बराबर अधिकार प्रदान किए गए थे। नेपाल की सुरक्षा, उसकी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं आदि के सम्बन्ध में भारत का यह उत्तरदायित्व था कि यह उसकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस सन्धि में व्यवस्था थी कि दोनों देशों के नागरिक अपनी इच्छानुसार बिना पारपत्र इत्यादि के कहीं भी आ जा सकते हैं, बस सकते हैं, सम्पत्ति अर्जित कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और नौकरियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस सन्धि में नेपाल अपनी सुरक्षा के पक्ष पर भारत पर ही आश्रित था। विदेशी आयात निर्यात के लिए नेपाल को कलकत्ता बन्दरगाह से पारगमन सुविधा प्रदान की गई तथा बिना किसी अतिरिक्त कर दिये विदेश से भारतीय बन्दरगाहों पर वस्तुओं को आयातित तथा निर्यातित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। लेकिन इस सन्धि की धारा 5 कालान्तर में नेपाल में भारत की आलोचना का आधार बनाई गई, के अनुसार-भारतीय बन्दरगाहों पर आयातित अथवा यहाँ से अन्य देशों को निर्यातित वस्तुओं पर नेपाल उतना ही शुल्क लगा सकता था जितना उसी प्रकार की वस्तु पर भारत में लगाया जाता था। भारतीय गणराज्य में व्यापार के उद्देश्य से भेजी जाने वाली वस्तु पर भी इसी प्रकार का शुल्क लगाना नेपाल ने स्वीकार किया। सन्धि के अनुसार भारत में नेपाल को आवश्यक उपयोग की वस्तुएँ उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था कि हमारी कोई भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, यह हमारा कर्तव्य है कि हम नेपाल के आर्थिक विकास में अधिकाधिक योगदान दें। इस सन्धि के पीछे यह भावना थी कि भारत के प्रतिरक्षा और प्रभाव की दृष्टि से नेपाल एक महत्वपूर्ण पड़ोसी राज्य हैं नेपाल के आर्थिक विकास और समुद्रतल के अभाव में आवश्यकता पूर्ति के लिए भारत को विशेष उत्तरदायित्व करने है।

व्यापार एवं पारगमन सन्धि 1960:

भारत नेपाल के बीच सम्पन्न 1950 की सन्धि मुख्यतः ब्रिटिश भारत के शासकों की पूर्व निर्धारित रीतियों पर अवलम्बित थी और यह स्वतन्त्रता के दस वर्षों के बाद ही अप्रासंगिक लगने लगी थी। इसी कारण 11 सितम्बर 1960 को काठमाण्डू में भारत-नेपाल के मध्य एक नयी व्यापार एवं पारगमन सन्धि सम्पन्न हुई इस सन्धि का मुख्य उद्देश्य 1950 की सन्धि में भारत-नेपाल सम्बन्धों में से अहितकर और असमान स्थिति को दूर करना था। इस सन्धि के मुख्य उद्देश्य वस्तुओं के विनिमय को प्रसार देना तथा भारत-नेपाल के पारस्परिक व्यापार को इस प्रकार से विकसित करना जिससे साझा बाजार के ध्येय को प्राप्त किया जा सके इसमें नेपाल के आर्थिक विकास के लिए भारत के सहयोग की व्यवस्था की गई थी और नेपाल की प्राथमिकता देना था इसका उद्देश्य नेपाल में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था। भारतीय वाणिज्य मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा था कि इस सन्धि से भारत और नेपाल में आर्थिक सम्बन्धों में गतिशीलता आएगी और सन्धि दोनों के लिए लाभकारी किन्तु तत्कालीन के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। 22 लेकिन भूतपूर्व नेपाली विदेश मंत्री ऋषिकेश शाह ने सन्धि को पूर्व की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण तथा आर्थिक रूप से नेपाल के लिए हानिप्रद बताया।

भारतीयों को ध्यान में रखते हुए यदि इस सन्धि का विश्लेषण किया जाए तो इससे व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भारत को अधिक लाभ मिला। जबकि नेपाल को सिर्फ बन्दरगाह और भारतीय सीमा में अन्य स्थानों पर माल एकत्र करने के लिए अधिक स्थान प्राप्त कर ही सन्तोष करना पड़ा। इस सन्धि की खास विशेषता यह थी कि नेपाल में व्यापार एवं पारगमन की पृथक सन्धि की मांग को वापस लिया और बाघा व राधिकापुर सीमा चौकी से पाकिस्तानी बन्दरगाहों के द्वारा अप्रतिबन्धित पारगमन व व्यापार सुविधा की मांग भी भारत के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की। सन् 1971 से लेकर 1976 तक दोनों देशों के मध्य इस सन्धि के अधीन सम्बन्ध चलते रहे। इस बीच भारत में श्रीमती इन्दिरा गाँधी प्रधानमंत्री थी और उनके नेतृत्व में एक शक्तिशाली सरकार सत्ता में थी। इस अवधि में नेपाल की ओर से अधिक विवाद ग्रस्त माँगें सामने नहीं आईं। हालाँकि समझौते की अवधि 5 वर्ष बढ़ाने के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हो सका। लेकिन भारत 1977 में जनता पार्टी सरकार के आगमन के साथ ही भारत सरकार ने नेपाल के साथ आवश्यकता से अधिक उदारनीति का पालन करना प्रारम्भ किया और 17 मार्च, 1978 की भारत और नेपाल के मध्य नेपाली हितों को पूरा करने के लिए एक अति उदार सन्धि सम्पन्न हुई।

1978 की व्यापार एवं पारगमन सन्धि:

17 मार्च, 1978 को भारत और नेपाल के मध्य व्यापार, पारगमन एवं अनाधिकृत व्यापार पर अंकुश लगाने हेतु तीन अलग-अलग सन्धियाँ सम्पन्न हुई। यह सन्धियाँ भारत-नेपाल के सम्बन्धों में परस्पर विश्वास और सहयोग की बढ़ती हुई भावना की द्योतक थी। यद्यपि व्यापार और पारगमन के सम्बन्ध में 1950 की सन्धि के समान ही उपबन्ध रखे गए थे। लेकिन दोनों देशों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं व त्वरित व्यापार को ध्यान में रखते हुए अनेक व्यापारिक समस्याओं को दूर करने की कोशिश की गई थी। इस सन्धि के अनुसार भारत में नेपाल को 10 के स्थान पर 15 परिवहन मार्ग उपलब्ध कराये हैं। अब कलकत्ता बन्दरगाह के साथ-साथ हल्दिया बन्दरगाह से आयात-निर्यात की सुविधा भारत की ओर से नेपाल को प्रदान की गई। माल ढोने और नेपाल से ले जाने तथा वापस लाने के लिए विशिष्ट सुविधाओं, भारतीय बाजार में नेपाली वस्तुओं का अबाध व्यापार तथा नेपाली माल को सीलबन्द ट्रकों में ले जाने की व्यवस्था आदि सुविधाएँ नेपाल को प्रदान की गई। इस समझौते से भारत-नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ दूसरे देशों से समुद्र पार व्यापार के लिए नेपाल की अनेक सुविधाएँ प्रदान की गई। लेकिन दोनों देशों के मध्य जो अनाधिकृत व्यापार एक बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था, उसे रोकने के लिए प्रभावी नियन्त्रण की भी व्यवस्था की गई है। इसमें यह निश्चित किया गया कि दोनों देश शान्तिवार्ता और विचार-विमर्श के आधार पर समस्याओं को निपटाते रहेंगे। इसके लिए पदाधिकारी स्तर पर निश्चित अन्तराल के दौरान सम्मेलनों की बुलाए जाने का निश्चय किया गया।

इस सन्धि में भारत की ओर से नेपाल को इतनी अधिक सुविधाएं प्रदान की गई जितनी कि अफगानिस्तान तथा स्विट्जरलैण्ड जैसे भूवेस्टिक देशों को प्राप्त नहीं है, फिर भी नेपाल के कुछ समाचार पत्रों ने इस सन्धि की आलोचना करते हुए कहा कि भारत नेपाल के विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त की गई है, लेकिन दूसरी तरफ नेपाल के वाणिज्य एवं उद्योग सचिव गिरजा कोईराला ने कहा कि नेपाल भारत व्यापार एवं पारगमन समझौता आर्थिक सहयोग की दृष्टि से नेपाल के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं उन्होंने भारत की भूबद्ध देश की सार्थक सहायता को इच्छा पर पूरा विश्वास प्रकट किया। भारत में स्पष्टतः नेपाल को एक प्रभुसत्ता स्वतन्त्र राष्ट्र का स्थान देते हुए उसके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व पारगमन सम्बन्धी कुछ असुविधाएँ सामने आई, उन्हें अगस्त, 1981 में अतिरिक्त संशोधन के साथ सुधार दिया गया और नेपाली वस्तुओं को भारतीय बाजार में स्वतन्त्र रूप से पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। कुछ आवश्यक वस्तुओं के निर्दिष्ट कोटा में वृद्धि की गई तथा औद्योगिक वस्तुओं को शीघ्रता से प्रवेश देने के लिए छूट प्रदान की गई है। मई, 1982 में भारत ने नेपाल को अन्य अनेक व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान करने की भी घोषणा की। इन सुविधाओं का परिणाम यह निकला कि नेपाल का 75 प्रतिशत व्यापार और 90 प्रतिशत पारगमन भारत से ही होना प्रारम्भ हो गया।

भारत इस बात पर भी सहमत हो गया कि नेपाल जूट, चिप्स, जूट के उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, नूडल्स, वनस्पति घी, कागज की दफती, चूनी चीनी, स्लेट, चमड़े, साग-सब्जी एवं अनेक खाद्य पदार्थों आदि का व्यापार बिना किसी भारतीय औपचारिकता के देश में कर सकता है। वास्तव में यह स्थिति अत्यन्त तनावभरी थी और भारत व नेपाल के बीच निश्चित रूप से शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी। नेपाल ने स्वयं व्यापार व पारगमन सन्धि की अवधि समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरी तरफ उसमें चीन से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन नेपाल-चीन के मध्य जो रास्ते हैं वे अधिकतम दुर्गम हैं केवल कुछ दरों को छोड़कर ये वर्षभर खुले भी नहीं रहे पाते हैं। नेपाल और चीन के मध्य दूरी भी इतनी अधिक है कि सड़क मार्ग से माल पहुंचाने में समय और धन का भारी अपव्यय होता है नेपाल में लोकतन्त्र बहाली आन्दोलन एवं भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण दो वर्षों तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल सका। अन्त में जब नेपाल में नवी लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो भारत और नेपाल के मध्य 6 दिसम्बर 1991 को काफी विचार-विमर्श के बाद एक सन्धि हुई जिसमें दोनों देशों में सात वर्षों के लिए पारगमन और व्यापार की सुविधा बहाल की गई आगे चलकर इस सन्धि की अवधि को आगामी सात वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार भारत ने एक पड़ोसी मित्र देश होने के नाते नेपाल को सदैव विश्वसनीय मित्र माना और हमेशा व्यापार और पारगमन की सुविधाएँ प्रदान की।

आतंकवाद:

नेपाल में माओवादी आतंकवादियों के संगठन खूब हिंसा का खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत में पंजाब, कश्मीर, असम, आन्ध्र, पश्चिम, बंगाल, बिहार आदि राज्यों में आतंकवादी मारकाट मचाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हिंसा अपने चरम पर है और यहाँ के आतंकवादी दुनिया के अन्य राज्यों, व्यक्तियों या समूहों से सहायता लेकर अपनी कार्यवाहियों को अंजाम देते हैं। दोनों देशों के आतंकवाद में खास अन्तर यह है कि नेपाली आतंकवाद चीनी समर्थक माओवादियों की देन है वहीं भारतीय आतंकवाद गुटों की सांजिश से पैदा हुआ है।

नशीली व अन्य वस्तुओं की तस्करी:

तस्करी की समस्या ने भारत-नेपाल सम्बन्धों को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया है। प्रारम्भ से ही दोनों देशों के बीच प्रतिबन्धित वस्तुओं के अवैध व्यापार एवं सीमा कर की चोरी के कारण अनेक मतभेद रहे हैं नेपाल विदेशी सामान का बाजार है और वहाँ अत्यधिक मात्रा में चीन, जापान, कोरिया आदि देशों में सामान मंगाया जाता है यहाँ के बाजार में विदेशी सामान इकट्ठा तो हो जाता है, लेकिन नेपाली नागरिकों की क्रय क्षमता कम होने के कारण इस सामान की वहाँ बिक्री नहीं हो पाती। फलतः नेपाल के व्यापारी अपने यहाँ भारतीय व्यापारियों को सस्ते दामों पर वस्तुएं बेच देते हैं और फिर इन्हें भारतीय व्यापारी तस्कर अवैध ढंग से भारत पहुंचा देते हैं। वर्तमान समय भारत और नेपाल के बीच व्यापक तौर पर नशीले पदार्थ का तस्कर बना हुआ है जिनमें मुख्य तौर पर बिहार राज्य के सीमावर्ती जिला अररिया का उपयोग किया जाता है। इन जिले के माध्यम से मादक पदार्थों का तस्कर भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचाया जाता है जो कहीं ना कहीं भारत व नेपाल के बीच एक आपसी भाईचारे में रोष उत्पन्न करने का काफी इन तस्करों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। इस व्यवसाय में भारत की प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए की क्षति पड़ती है।

भारत और नेपाल के बीच सीमाएं सर्वथा खुली हैं। पहले दस सीमा चौकियों के आवागमन की सुविधा प्राप्त थी अब उसे बढ़ाकर दोनों के मध्य 15 चौकियाँ स्थापित कर दी गई हैं। इन सभी सीमा चौकियों से दोनों में नागरिक बिना किसी अभय पत्र या परिचय के आवागमन कर सकते हैं और मनचाहे समय तक दूसरे देश में रहकर अपने देश वापस लौट सकते हैं। यह मैत्री पूर्ण व्यवस्था दोनों देशों के मध्य 1950 की सन्धि के लागू होने के समय से ही चल रही है। इस पारगमन की सुविधा में 1950 की सन्धि की धारा 5 व 6 में ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है जिससे कि अवैध वस्तुओं के व्यापार को प्रतिबन्धित किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत और नेपाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भौगोलिक रूप से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए देश हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों की एक लंबी परंपरा रही है। मुक्त सीमा, पारस्परिक समझ और सहयोग के कारण इन संबंधों में मजबूती बनी हुई है। लेकिन वर्तमान समय भारत को नेपाल के बीच आपसी संबंधों के बीच विवादों का मुख्य आधार में से यह भी एक महत्वपूर्ण आधार नशीले पदार्थों का तस्कर है। जिनके कारण आज दोनों देशों के युवा पीढ़ी के जीवन को बर्बाद करने में अपना अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए दोनों देशों को इस तस्कर जैसे समस्याओं से निपटने हेतु एक ठोस पहल करने की आवश्यकता है। इसको लेकर दोनों देश मिलकर सीमाओं की निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करने और तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करने हेतु राजनीतिक सहयोग, व्यापारिक आदान-प्रदान और सामाजिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से भारत नेपाल के बीच आपसी संबंधों के मजबूत प्रदान करने की आवश्यकता है। द्विपक्षी संवाद और सहयोग ही इन चुनौतियों का समाधान है और यही इन दोनों के उज्ज्वल भविष्य को मजबूर आधार बनाने की कुंजी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- (1) डा० अंशु पाण्डेय, भारत-नेपाल सम्बन्ध, नवराज प्रकाश दिल्ली, 2004 पृ०-1
- (2) उद्धत अंशु पाण्डेय, पूर्वोक्त, पृ० 1
- (3) योगेन्द्र सिंह भारत की विदेशनीति एक अध्ययन, आगरा, 1993 पेज 71
- (4) अंशु पाण्डेय, पूर्वोक्त पृष्ठ 2
- (5) दैनिक जागरण, 24 अगस्त, 2002
- (6) ऋषिकेश शाह, नेपाली राजनीति: पुनर्विचार और संभावना, नई दिल्ली, 1975 पृ. 133-139.
- (7) डॉ० शर्मा मथुरालाल जैन शशि, के प्रमुख देशों की विदेशनीतियां कालिज, बुक डिपो, जयपुर, राजस्थान पेज-16
- (8) डॉ गौतम शिवदयाल, भारत एवं विश्वराजनीति, श्री सुनीता प्रकाशन, इन्दौर, 1991 पेज-1
- (9) डॉ गौतम शिवदयाल, भारत एवं विश्वराजनीति, पूर्वोक्त पेज-1
- (10) डॉ सिधल एस०पी० अनंतराष्ट्रीय राजनीति, शालीमार पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी, 1986 पेज-110
- (11) धर्मदासानी एम०डी०, अन्तराष्ट्रीय राजनीति, शालीमार पब्लिशिंग हाउस, वाराणसी, 1986 पेज-110